

सेवा में,



(5A)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

दिनांक— 11/07/2023

विषय— श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा बांका जिलान्तर्गत केसोपुर मौजा के खाता संख्या-69के., खेसरा संख्या 174, थाना संख्या-19, अंचल-शंभूगंज में इंग्लिश मोड़-असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.006425 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग— आपका पत्रांक FC/73/2021-449 दिनांक 21.06.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयान्तर्गत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Approach/143693/2021/1190, दिनांक 14.06.2023 द्वारा दो भाग में Stage-I की स्वीकृति प्रदान की गयी है। भाग-A में 1 से 6 एवं भाग-B में 1 से 9 शर्तें अधिरोपित की गयी है। उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नवत् समर्पित कर रहा हूँ—

भाग-A

1. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR520370559095517 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
2. NPV के मद में मेरे द्वारा द्वारा 0.006405 हे० अपयोजित होने वाली वन भूमि के लिये रु० 9.57780 लाख प्रति हे० की दर से कुल रु० 6,135/- बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR520370559095517 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV की राशि को e-challan के माध्यम से फंड ट्रांसफर कर Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi के खाता में दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दी गयी है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है।
4. जिला पदाधिकारी, बाँका द्वारा निर्गत FRA 2006 प्रमाण-पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
5. मेरे द्वारा वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

(56)

6.

मेरे द्वारा सभी शर्तों का Compliance report, Ministry के Website-
<http://parivesh.nic.in> पर अपलोड कर दिया गया है।

भाग-B

1. अपयोजित होने वाली वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करूँगा।
2. हरितावरण को बनाये रखने हेतु 100 वृक्षों के रोपण की 10 वर्षीय प्राक्कलन की राशि रु. 8,65,161/- मेरे द्वारा बिहार राज्य के लिये निर्धारित, BIHAR CAMPA Union Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex Phase I Lodhi Road New Delhi में फंड ट्रांसफर कर दिनांक 05.07.2023 को जमा करा दिया गया है, जिसका UTR No. SBINR520370559095517 है तथा उक्त राशि Ministry website पर प्रदर्शित है (मूलप्रति संलग्न)।
3. मेरे द्वारा वचनबद्धता दी गयी है कि प्रस्तावित वन भूमि के लिये अगर NPV की राशि में किसी प्रकार की वृद्धि या संशोधन होता है तो, उसका भुगतान करेंगे।
4. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - a. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - b. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - c. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - d. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
5. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
6. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
7. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
- 8 (a) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (b) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
 - (c) इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।
9. इन शर्तों का अनुपालन मेरे द्वारा किया जायेगा।

इस प्रकार मेरे द्वारा सभी शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अतः अनुरोध है कि मेरे द्वारा समर्पित परियोजना पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

सत्यम कुमार सिंह

सत्यम कुमार सिंह,
पिता-श्री बाल्मीकि प्रसाद सिंह,
ग्राम+पो0 कुरमाडीह, थाना-शंभूगंज
जिला-बाँका

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank
of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 05-07-2023

Agency Name.	SATYAM KUMAR SINGH
Application No.	70143693708
MoEF/SG File No.	FP/BR/APPROACH/143693/2021
Location.	BIHAR
Address.	Satyam Kumar Singh, Son Balmiki Prasad Singh AT PO Kurmadih PS Shambhuganj Dist Banka Bihar Banka
Amount(in Rs)	871296/-

Amount in Words : Eight Lakh Seventy-One Thousand Two
Hundred and Ninety-Six Rupees OnlyNEFT/RTGS to be made as per following
details;

Beneficiary Name:	BIHAR CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1506270143693708 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through ch
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@
ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR No - SBINR520370559095517 P



कार्यालय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका

आजाद चौक, बाबू टोला, बांका-813102

E-mail-dfo.banka@gmail.com



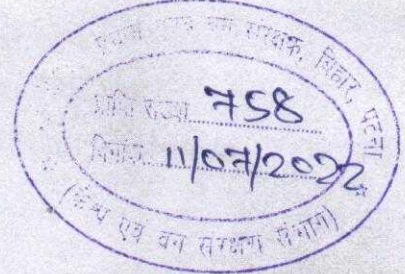
पत्रांक- 1039

प्रेषक,

अभिषेक कुमार सिंह, (मा0व0से0)
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
-सह-
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।



बांका, दिनांक-09/07/2022

विषय :- बांका जिलान्तर्गत श्री सत्यम कुमार सिंह, केशोपुर मौजा के खाता संख्या-69, खेसरा संख्या-174, थाना नं0-19, अंचल-शंभुगंज में ईंग्लिश मोड़-असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.006405 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :- जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका का पत्रांक-962/क0 दिनांक-05-07-2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि, विषय से संबंधित FRA-2006 प्रमाण-पत्र जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा निर्गत जिला कल्याण पदाधिकारी, बांका के माध्यम से प्राप्त हुआ है, उक्त FRA-2006 प्रमाण-पत्र की 01 (एक) प्रति E-mail के माध्यम से भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि, FRA-2006 प्रमाण-पत्र स्वीकार करने की कृपा की जाय।
सादर सूचनार्थ समर्पित।

अनु0-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

ज्ञापांक- 1039

दिनांक-09/07/2022

प्रतिलिपि-अनुलग्न सहित अतिरिक्त प्रति के साथ वन संरक्षक, भागलपुर अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

नीरज
09/07/22



42

समाहरणालय बांका
(कल्याण शाखा)

पत्रांक- 962 / क0

प्रेषक,

जिला कल्याण पदाधिकारी,
बांका।

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
बांका वन प्रमंडल, बांका।

बांका, दिनांक 05/07/2022.

विषय :-

बांका जिलान्तर्गत श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा केशोपुर मौजा के खाता संख्या-69, खेसरा संख्या-174 थाना नं0-19, अंचल-शंभूगंज में इंग्लिश मोड़-असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.006405 हे0 वनभूमि अपयोजन के प्रमाण-पत्र भेजने के संबंध में।

प्रसंग :-

भवदीय पत्रांक-1302, दिनांक-03.09.2021.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में बांका जिलान्तर्गत श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा केशोपुर मौजा के खाता संख्या-69, खेसरा संख्या-174 थाना नं0-19, अंचल-शंभूगंज में इंग्लिश मोड़-असरगंज पथ के किनारे IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन(संरक्षण) अधिनियम-1980 के तहत 0.006405 हे0 वनभूमि के रैखिक विकास परियोजना हेतु प्रमाण-पत्र का मूल प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुरोध है प्राप्ति स्वीकार की जाय।

अनुलग्नक:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

जिला कल्याण पदाधिकारी
बांका।

45

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, बांका के तहत रैखिक परियोजना निर्माण हेतु FRA
2006 का प्रमाण पत्र**

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक—

28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत

संख्या... 962 ... दिनांक... 05/07/22

प्रमाणित किया जाता है कि बाँका जिले में प्रयोक्ता एजेंसी श्री सत्यम कुमार सिंह द्वारा IOCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु रैखिक परियोजना निर्माण स्थान केशोपुर मौजा, अंचल-शंभूगंज, इंग्लिश मोड़-असरगंज पथ के कुल-16.00 मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.006405 हेक्टेयर रकबा के अपयोजन (Diversión) हेतु प्रयोक्ता एजेंसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका के पत्रांक-1302, दिनांक-03.09.2021 द्वारा FRA, 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशांसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षारोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान- बाँका
तिथि-

23.6.22

जिला पदाधिकारी, बांका का
हस्ताक्षर एवं मोहरा
बाँका

OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 year prior to the 13th day of December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

Place :

Dated :

23.6.22
District Magistrate
and Office Seal